

न्यायालय: सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थित: अनिल कुमार-X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०.....941/2021

सरकार

बनाम

शैलेन्द्र आदि

अंतर्गत धारा- 147, 148, 452, 307/ 149, 323, 336, 504,

506, 427 भा०द०सं०

थाना-भोजपुर गाजियाबाद।

मु० अ० सं०-643/2018

मैमोरेण्डम

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण प्रशांत, प्रमोद, शैलेन्द्र, उमेश एवं सतेन्द्र मय अधिवक्ता जमानत पर उपस्थित आए।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्क आरोप सृजित किये जाने के बिंदु पर सुने गये एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण प्रशांत एवं प्रमोद के विरुद्ध धारा- 147, 148, 452, 307/ 149, 323, 336, 504, 506, 427 भा०द०सं० एवं अभियुक्तगण शैलेन्द्र, सतेन्द्र एवं उमेश के विरुद्ध धारा- 147, 148, 323/ 149, 336, 504, 506, 427 भा०द०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप सृजित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 11-01-2024 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण तलब हों।

(अनिल कुमार-X)

सत्र न्यायाधीश

गाजियाबाद।

दिनांक 15.12.2023